अति आवश्यक/आज ही जारी हो

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ ( )स्था/निकाशि/2013/ 3 दिनांक 29.10.2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय/राजकीय कन्या महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– दो माह से अधिक अवधि से लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचना 1.11.13 तक भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय में दो माह से अधिक समय से लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचना निम्न प्रपत्र में 31.10.13 तक आवश्यक रूप से अपने क्षेत्रीय कार्यालय, को प्रेषित कर उस पत्र की प्रति निदेशालय को भिजवाकर ही दीपावली के अवकाश पर मुख्यालय छोड़ें।

जिन मामलों में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने से पेंशन प्रकरण तैयार नहीं किये गये

क्र.सं.	नाम/पद सेवा निवृत्त/मृतक कर्मचारी	सेवा निवृत्ति/मृत्यु तिथि	प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति दिनांक	अनुशासनात्मक अधिकारी जिसके द्वारा चार्जशीट जारी की गई है	चार्जशीट जारी करने की तिथि तथा किस नियम के तहत जारी की गई	आरोप संक्षिप्त में	देरी का कारण तथा निस्तारण की सम्भावित तिथि

अन्य विचाराधीन पेंशन प्रकरण जो अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मुत्यु के दो माह से अधिक समय से विचाराधीन है

क्र.सं.	नाम पेंशनर, पद एवं अन्तिम पदस्थापन	कार्यालय का नाम (जहां से प्रकरण तैयार होकर पेंशन विभाग को प्रेषित किया जाना है)	सेवा निवृत्ति /मृत्यु तिथि	प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत हो गई हो तो दिनांक	प्रकरण पेंशन विभाग को भेजने में देरी हुई हो तो कारण (संक्षिप्त में)

भवदीय

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

1. प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने अधीन आने वाले समस्त राजकीय/राजकीय कन्या महाविद्यालयों की सूचना इकजाई कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से संयुक्त निदेशक, प्रशासन के पास दिनांक 1.11.2013 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि ये सूचना आपके कार्यालय की लम्बित हो तो उसकी सूचना भी उपरोक्त प्रोफार्म में भरकर दें यदि सूचना शून्य हो तो उसकी भी सूचना निर्धारित प्रपत्र में ही प्राप्त की जावे।

2. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईड प्रभारी को भेजकर लेख है कि इसे तत्काल कालेज शिक्षा निदेशालय की साईड पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।